



2026:AHC:163355

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत प्रार्थना-पत्र बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7911

वर्ष 2026

प्रदुम

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आनंद कुमार शुक्ला, लोक नाथ शुक्ला

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. मैंने आवेदक के अधिवक्ता श्री आनंद कुमार शुक्ला और राज्य की ओर से एजीए के तर्क सुने और अभिलेख देखा।
2. यह प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से आपराधिक वाद संख्या 41/2026 में दायर की गई है। यह मामला बीएनएस की धाराओं 318(4), 336(3), 338, 340(2), 111(3), 61(2), 308(6) और आई.टी. अधिनियम की धाराओं 66(C), 66(D) के तहत थाना रेउना, जिला कानपुर नगर में दर्ज है। इसमें अग्रिम ज़मानत देने की मांग की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी पुलिस उसे गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है। आवेदक समेत 37 लोगों के खिलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



गई थी। कुल 20 लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आवेदक को मौके पर गिरफ्तार नहीं किया गया था और उसका नाम सह-आरोपी पारस कुमार के इकबालिया बयान में सामने आया है। उक्त सह-आरोपी के इकबालिया बयान के अलावा कोई अन्य पुष्टि करने वाला सबूत नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि सह-आरोपी का इकबालिया बयान सबूत के तौर पर स्वीकार्य नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसे गलत इरादे से फँसाया गया है। आवेदक के अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक जांच और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच अभिकरण या संबंधित न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होगा। यह भी कहा गया है कि अगर आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, जांच में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, एजीए ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना-पत्र का विरोध किया है, हालाँकि वे तथ्यों से इनकार नहीं करते हैं।

5. मैंने दोनों पक्षों के तर्क सुने और अभिलेख देखा।

6. **सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1** मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अग्रिम जमानत देने के प्रार्थना-पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें गवाहों को डराना-धमकाना शामिल है, की संभावना, और न्याय से भागने की संभावना, जैसे देश छोड़कर भागना आदि पर विचार करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, प्रार्थना-पत्र देने वाले की भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। जमानत देना है या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

7. **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2022) 1 उच्चतम न्यायालय वाद 676** मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक आदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जांच के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हिरासत में लेकर पूछताछ करना ज़रूरी हो, या अपराध बहुत गंभीर हो, या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना हो, या आरोपी के भागने का डर हो। सिर्फ इसलिए कि गिरफ्तारी



करना विधिक रूप से सही है, इसका मतलब यह नहीं है कि गिरफ्तारी की ही जानी चाहिए। गिरफ्तारी करने की शक्ति होने और उस शक्ति का इस्तेमाल करने के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। अगर गिरफ्तारी को एक सामान्य प्रक्रिया बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। अगर जांच अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी भाग जाएगा या समन का पालन नहीं करेगा, और आरोपी ने वास्तव में जांच में पूरा सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए आरोपी को गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं है।

8. अग्रिम ज़मानत से जुड़े विधि के स्थापित सिद्धांतों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोप की प्रकृति, प्रार्थना-पत्र देने वाले की भूमिका और मामले से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह माना जाता है कि अग्रिम ज़मानत के लिए मामला बनता है।

9. इसलिए, अग्रिम ज़मानत की प्रार्थना-पत्र इन निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है:-

(i) अगर प्रार्थना-पत्र देने वाले - **प्रदुम**, जो इस मामले में शामिल है, को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे विचारण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा। इसके लिए उसे संबंधित पुलिस थाने के थानाध्यक्ष या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो ज़मानती देने होंगे।

(ii) प्रार्थना-पत्र देने वाला जांच के दौरान जांच अधिकारी का सहयोग करेगा और जांच के मकसद से ज़रूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होगा;

(iii) प्रार्थना-पत्र देने वाला मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी देने से रोका जा सके; और

(iv) प्रार्थना-पत्र देने वाला न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त का पालन न करने या उसका गलत इस्तेमाल करने पर, लोक अभियोजक/जांच अधिकारी/शिकायतकर्ता के पास यह अधिकार है कि वे संबंधित न्यायालय में आवेदक को मिली अग्रिम ज़मानत को निरस्त करने के लिए उचित आवेदन दायर कर सकें।



(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

5 अगस्त, 2026

ए. पी. पाण्डेय

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!